FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा,राजस्थान

रेखा मीणा पत्नि अर्जुन कुमार बनाम अर्जुन कुमार पुत्र चतुर्भुज मीणा

किस्म मुकदमा / धाराः– प्रार्थना पत्र | 111-128

प्रकरण संख्या 8 / 2026 जी.सी.एम.एस. नम्बरः–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/01 2026	प्रार्थना–पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20/01/2026 को वास्ते इन्तजार तामील / तलबी रिपोर्ट पेश हो। उ/ उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	तामील प्राप्त
20/1/2026	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 3/2/2026 को वास्ते तामील/तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
3/2/26	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणो की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणो को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उ उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 8/2026 तारीख
दायर – 1/01/2026

1. **रेखा मीणा पत्नि अर्जुन कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा** तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. **शारदा देवी पत्नि सुरेश जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा** तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थीगण

बनाम्

1.**अर्जुन कुमार पुत्र चतुभुर्ज मीणा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा** तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2.वन विभाग नाका बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
क्षेत्रीय वन अधिकारी जी

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक – 3/02/202

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमा जी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 142/101 रकबा 0.5261 हैक्टेयर** भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 8/2026

तारीख दायर 01/01/2026

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ..../ 20 पत्थरगढ़ी बाबत्।

1. **रेखा मीणा पत्नि अर्जुन कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा** तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. **शारदा देवी पत्नि सुरेश जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा** तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थीगण

बनाम्

1.अर्जुन कुमार पुत्र चतुभुर्ज मीणा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.वन विभाग नाका बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्षेत्रीय वन अधिकारी जी

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 142/101 रकबा 0.5261 हैक्टेयर** भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **उमा जी का खेड़ा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ